No. 5/7/2012-1 Election Government of Haryana Chief Secretary Office (Election Branch)





Dated, Chandigarh, the 3 December, 2018.

All the Administrative Secretaries to Govt., Haryana.

All Heads of the Departments.

Subject

All the MDs of Boards/ Corporations/ Public Undertakings etc.

All the Divisional Commissioners in Haryana.

All the Deputy Commissioners in Haryana.

Vice Chancellors/ Registrar of all the Universities in the State.

Celebration of every 25th January, as 'National Voter's Day'- Regarding.

I am directed to refer to the subject noted above and to enclose a copy of letter No. 191/DC-17/FUNC/SVEEP-1/NVD/2018, dated 19th November, 2018 received from Sh. O.P. Thief Election Commissioner of India, Election Commission of India, New Delhi alongwith a copy of Voter's Pledge to direct all the officers/officials working in your offices/ organizations to create awareness amongst the people in their field as per the Chief mmissioner of India letter to celebrate the 'National Voter's Day. It is also requested to et all the officers/ officials working under your control to the needful and send an ATR a scale is soon Department for their record.

Besides that Education Department is requested to take necessary action to organize National Voter's Day for infusion of democratic values like debate, declamations, mock polls, drawing and quiz competitions on or during run-up to National Voter's Day with the theme of ' No " er to be left Behind".

Yours faithfully,

Superintendent Election.

Dated, Chandigarh the 3 December, 2018. 2012-1Election

A copy is forwarded to Sh. O.P. Rawat, Chief Election Commissioner of India, Lection of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi, w.r.t. their letter No 17/10 11/FUNC/SVEEP-1/NVD/2018, dated 19th November, 2018 for information.

Superintendent Election

Dated, Chandigarh the 3 December ,2018. adst. 7/2012-1Election

A copy alongwith a copy of D.O. letter No. 491/DO/ECI/FUNC/SVEEP-November, 2018 received from Sh. O.P. Rawat, Chief Election ver of India, Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi to the Chief Electoral Officer Haryana, 30-Bays Building, Sector-17, Chandigarh with the results to facilitate technical inputs for the celebration on National Voter's Day, as direction of

Superintendent Election.

New & Renewable Energy Department, Haryana, Panchkula

Endst. No. DNRE/Admin-2018/ 23

Dated Panchkula, the 1-1-19


あるみかい

A copy of the above letter is endorsed to all the officers/officials of DNRE/HAREDA, Haryana, Panchkula for necessary compliance.

Superintendent (H)

ओ. पी. रावत भारत के मुख्य निर्वाचन अ

O.P. RAWAT
Chief Election Commissione of





भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India

No.491/DO/ECI/FUNC/SVEEP-I/NVD/2018

Dated:19th November, 2018

Dem Gri Dhasi

As you may be aware, the National Voters' Day is being celebrated across the country on 25th January to register the newly eligible young (18+) in the electoral roll and also to promote electoral participation.

2. In keeping with the practice in the past Eight Years, it is requested that schools and Educational Institutions in your State may be instructed to organize National Voters' Day for infusion of democratic values through debate, declamations, mock polls, drawing and quiz competitions on or during run-up to National Voters' Day with the theme of 'No Voter to be Left Behind'. The CEO of your State shall facilitate technical inputs for the same.

3. I would also like to request you to direct that all staff & officers in Government \(\frac{1-11-18}{1-11-18} \) Department and officers in your State take the NVD pledge (attachment herewith) on the National Voters' Day (25th January, 2019) preferably around 11.00 AM to promote democratic electoral participation. I have already written to Cabinet Secretary in respect of Central Government offices.

Best Winhes

Encl.: NVD pledge (Hindi & English)

(O.P. Rawa

Shri Depinder Singh Dhesi, IAS
Chief Secretary
Government of Haryana
4th Floor Haryana Civil
Secretariat, Sector-1,
Chandigarh-190019
cs@hry.nic.in

Copy to: The Chief Electoral Officer of Haryana.

1011年20日

निर्वाचन शदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001 दूरभाषा / Tel: 011-23052137, 011-23052138, फॅक्स / Fax: 011-23052139, वेबसाइट / Website: www.eci.nic.in



ELECTION COMMISSION OF INDIA

Pledge For National Voters' Day, 25th January 2019

"हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एंव शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे"

"We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language or any inducement"



ORDER

In pursuance of the instructions issued by the Haryana Government, Finance Department vide its No. 1/35/2012-2PR(FD) dated 22.03.2013, Sh. Ombir Singh Tewatia, Project Officer O/o Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Project Officer, DNRE, Faridabad, is hereby, granted for ACP/ increment as on 04.03.2014 on completion of 24 years of regular satisfactory service on the post of Assistant Project Officer and it will be treated as financial upgradation.

Dated Panchkula, the 02nd December, 2018

Dr. RENU PHULIA Director, New and Renewable Energy Department, Haryana.

Endst. No. DNRE-Admn-2019/ 31-86

Dated: 3-1-19

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action :-

- 1. The Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
- 2. The Treasury Officer, Faridabad.
- 3. The Accounts Officer, DNRE, Haryana, Panchkula.
- 4. The Addl. Deputy Commissioner-cum-Chief Project Officer, DNRE, Faridabad. The Service Book in original is returned and enclosed herewith. Please acknowkedge its receipt.
- 5. Sh. Ombir Singh Tewatia, Projet Officer O/o ADC-cum-CPO, DNRE, Faridabad.

6. Programmer, DNRE, Haryana, Panchkula.

for Director, New & Renewable Energy Department, Haryana, Panchkula.



प्रेषकः

निदेशक, नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा विभाग, हरियाणा, संस्थागत प्लाट संख्या—1, सैक्टर—17, पंचकुला

प्रेषित

राज्य के सभी अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी

यादि क्रमांक / डी.एन.आर.ई. / स्था०–2018 / 1014 22 दिनांक पंचकुला 4 1 2019

विषय:— अधिकारियों / कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु सेवा पूर्ण होने उपरान्त सेवा में बने रहने की अनुमति बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको लिखा जाता है कि सरकार के नियमानुसार अधिकारियों / कर्मचारियों की 55 वर्ष की आयु से आगे की सेवा में बने रहने के लिए 6 माह पूर्व निदेशालय में प्रस्तुत किये जाने चाहिए परन्तु इस मामले में प्रायः यह देखा गया है कि आपके कार्यालय द्वारा समय पर पूर्ण विवरण सहित नहीं भेजे जा रहे हैं जिस कारण अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा में बृद्धि के केसों में अनावश्यक देरी होती है। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि अधिकारियों / कर्मचारियों की 55 वर्ष से अधिक आयु से सेवा में रखने के मामले कम से कम 6 माह पूर्व पूर्ण विवरण सहित जैसे की अधिकारी / कर्मचारी का नाम, पद का नाम, जन्म तिथि, सरकारी सेवा ज्वाईन करने की तिथि, पिछले दस वर्षों की सेवा के दौरान का रिकार्ड के अलावा अधिकारी / कर्मचारी की ईमानदारी संदेहजनक तो नहीं है तथा ऐसी कोई अनुशासनिक कार्यवाही / न्यायालय में मामला लिम्बत तो नहीं है तथा नियम 7 एवं 8 के तहत कोई आरोप पत्र जारी तो नहीं किया गया है जो विभाग के विचाराधीन हो के साथ इस निदेशालय को भेजे जाएं।

- 2. यह भी प्रायः देखने में आया है कि आपके कार्यालय द्वारा अधिकारियों / कर्मचारियों के ए.सी.पी., पैंशन एवं रिवाईज पैंशन के जो भी केस इस निदेशालय को भेजे जाते हैं वह प्रायः अधूरे होते हैं जिस कारण इस तरह के केसों के निपटान में अनावश्यक देरी होती हैं। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि इस तरह के मामले / केस इस कार्यालय को भेजने से पहले आपके कार्यालय में तैनात लेखा अधिकारी / अनुभाग अधिकारी को दिखा लिए जाँए तथा उनके सत्यापन एवं अनुशंसा पश्चात इस निदेशालय को भेजें ताकि इस तरह के केसों का निपटान समय पर किया जा सके।
- 3. अधिकारियों / कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण (leave Encashment) के मामले भेजने से पूर्व सर्विस बुक एवं सम्बन्धित रिकार्ड लेखा अधिकारी / अनुभाग अधिकारी से सत्यापन एवं अनुशंसा पश्चात इस निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- यह भी देखने में आया है कि कर्मचारियों (ग्रुप—सी एवं डी) के रिटायरमैंन्ट केस भी देरी से भेजे जा रहे हैं वह भी अधूरे। कृपया रिटायरमैंन्ट केस भेजते



समय यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारी के विरूद्ध विभाग से कुछ बकाया तो नहीं हैं तथा कोई अनुशासनिक कार्यवाही / न्यायालय में मामला लिम्बत तो नहीं हैं तथा नियम 7 एवं 8 के तहत कोई आरोप पत्र जारी तो नहीं किया गया है जो विभाग के विचाराधीन हो, आदि—आदि, के साथ इस निदेशालय को भेजे जाएं। ताकि सक्षम अधिकारी के आदेश समय पर लिये जा सकें।

5. नियमानुसार क्लास-II अधिकारियों का रिटायरमेंन्ट केस एक वर्ष पूर्व भेजे जाने चाहिए ताकि समय पर राज्य चौकसी विभाग से अधिकारी के पक्ष में पैंशन के लिए शोधन पत्र (Clearance Certificate) जारी करने हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजा जा सके। रिटायरमेंन्ट केस भेजते समय यह भी सुनिश्चित करें कि अधिकारी के विरूद्ध विभाग का कुछ बकाया तो नहीं है तथा यह भी प्रमाणित करें कि अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही / न्यायालय में मामला लिम्बत तो नहीं हैं तथा नियम 7 एवं 8 के तहत कोई आरोप पत्र जारी तो नहीं किया गया है जो विभाग के विचाराधीन हो, आदि—आदि, के साथ इस निदेशालय को भेजे जाएं। तािक अधिकारी के रिटायरमेंन्ट आदेश सरकार से समय पर करवाये जा सकें।

उपरोक्त दिशा निर्देश नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा विभाग के सभी अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए तथा भविष्य में सख्ती से अनुपालन किया जाए।

> अधीक्षक(एच) कृते निदेशक, नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा विभाग, हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठ कमांक. डी०एन०आर.ई. / स्था०.-2018 / 123

दिनांक 4/1/2 व9

उपरोक्त की प्रति प्रोग्रामर को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक(एच)

कृते निदेशक, नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा विभाग, हरियाणा, पंचकुला